राजस्थान सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर.

क्रमांकः–निसंशि/संस्था–1/2015 / 13280–13330 दिनांकः– 14/7/2015

आदेश

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विगत दिनों में राज्य सरकार द्वारा जिन आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालययों में कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश जारी किए गए हैं। समय समय पर विभाग द्वारा जारी कार्यमुक्ति/कार्यारम्भ सम्बन्धी आदेशों/निर्देशों की अनुपालना आप द्वारा सुनिश्चित कर ली गई होगी । स्थानान्तरण आदेशों में उल्लेखित अन्तिम तिथि के पश्चात् उस महाविद्यालय से अन्यत्र स्थानान्तरित किसी भी कार्मिक के अवकाशों की स्वीकृति जारी नहीं की जावे,एवं न ही उनका वेतन आहरित किया जाए ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग ने स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरित स्थान पर कार्यारम्भ किये जाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हुए है–ऐसी स्थिति में दिनांक 20.07.2015 तक कार्यारम्भ नही करने वाले कार्मिको की सूचना संबधित प्राचार्य विभाग को प्रस्तुत करे। यदि इन आदेशो की अवहेलना की जावेगी तो संबधित प्राचार्य व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे तथा उनके खिलाफ राज्य सरकार के आदेशो की अवहेलना संबधि कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए ।

भवदीय,

(प्रो0लक्ष्मी नारायण आसोपा)
निदेशक,
संस्कृत शिक्षा,राज0,जयपुर

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. समस्त प्राचार्य ,राजकीय आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय ,राजस्थान को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

(प्रो0लक्ष्मी नारायण आसोपा)
निदेशक,

राजस्थान सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर.

क्रमांकः–निसंशि / संस्था–3,4,5 / 2015/12865-13245 दिनांकः– 14.07.2015

आदेश

विभाग द्वारा सभी श्रेणियों के स्थानान्तरण आदेश जारी किए गए हैं। समय समय पर विभाग द्वारा जारी कार्यमुक्ति / कार्यारम्भ सम्बन्धी आदेशें / निर्देशों की अनुपालना आप द्वारा सुनिश्चित कर ली गई होगी । स्थानान्तरण आदेशों में उल्लेखित अन्तिम तिथि के पश्चात् उस विद्यालय से अन्यत्र स्थानान्तरित किसी भी शिक्षक / कर्मचारी के अवकाशों की स्वीकृति जारी नहीं की जावे,एवं न ही उनका वेतन आहरित किया जाए ।

यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग ने स्थानान्तरित शिक्षकों / कर्मचारियों को स्थानान्तरित स्थान पर कार्यारम्भ किये जाने की अन्तिम तिथि 15–07–2015 निश्चित की हुई है–ऐसी स्थिति में स्थानान्तरित स्थान के संस्था प्रधानों के लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि वे उक्त वर्णित तिथि तक कार्यारम्भ नहीं करने वाले शिक्षक / कर्मचारियों के बारे में विभाग को दिनांक 20–07–2015 तक आवश्यक रूप से सूचित करें । इसके साथ ही ऐसे शिक्षक / कर्मचारियों के किसी भी प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति भी जारी न की जाए । यदि इन आदेशों की अवहेलना की जाएगी तो सम्बन्धित संस्था प्रधान व्यक्तिशः इसके लिए जिम्मेदार होंगे तथा उनके खिलाफ विभागीय आदेशों की अवहेलना सम्बन्धी कार्यवाही की जाएगी । उक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए ।

भवदीय,

(प्रो0लक्ष्मी नारायण आसोपा)
निदेशक,
संस्कृत शिक्षा,राज0,जयपुर

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–
1.संभागीय शिक्षाधिकारी,संस्कृत शिक्षा,
जयपुर,उदयपुर,कोटा,भरतपुर,जोधपुर,बीकानेर(चूरू)अजमेर.राजस्थान.
2.समस्त संस्था प्रधान राज0वरि0उपा0 / प्रवे0 / उ0प्रा0 / प्रा0 संस्कृत विद्यालय राजस्थान

भवदीय,

(प्रो0लक्ष्मी नारायण आसोपा)
निदेशक,
संस्कृत शिक्षा,राज0,जयपुर